देश में उच्च न्यायालयों की खंडपीठ

552. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न न्यायालयों की खण्डपीठ किन-किन स्थानों पर स्थापित है और प्रत्येक उच्च न्यायालय और इनकी खंडपीठ के अंतर्गत कितनी जनसंख्या आती है,

(ख) प्रत्येक उच्च न्यायालय और उनकी खंडपीठ में नियुक्त न्यायाधीशों और वहां रिक्त पड़े हुए पदों की संख्या कितनी-कितनी है,

(ग) क्या सरकार और खंडपीठों की स्थापना करने का विचार रखती है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजकोट में खंडपीठ स्थापित किए जाने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है,

(ङ) उच्चतम यायालय के परामर्श से खंडपीठों की स्थापना करने के लिए या मानदंड निर्धारित किए गए हैं, और

(च) क्या इस प्रयोजन के लिए गठित विधि आयोग द्वारा इस संबंध में कोई सिफारिशें की गई हैं और सुझाव दिए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) इस समय देश में किसी स्थान पर उच्च न्यायालय की कोई और न्यायपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है सिवाय अरूणाचल प्रदेश में इटानगर के। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के पश्चात् गुजरात सरकार से राजकोट में उच्च न्यायालय की न्यापीठ की स्थापना के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ङ) सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श से उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए कोई मानदंड नियत नहीं किया है। तथापि, जसवंत सिंह आयोग ने 30.4.1985 को सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में उच्च न्यायालय की न्यापीठें स्थापित करने के प्रश्न पर विनिश्चय करते समय पालन किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मानदंड का सुझाव दिया है। आयोग की रिपोर्ट राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर क्रमशः 20.4.87 और 21.4.87 को रख दी गई थी, जिसे देखा जा सकता है।

(च) विधि आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट (1956) और चौदहवीं रिपोर्ट (1958) में उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों के सृजन के विचार का इस आधार पर विरोध किया था कि न्याय प्रशासन का उच्चतम स्तर तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उच्च न्यायालय एक स्थान पर कार्य करे।

विवरण

क्र सं॰	उच्च न्यायालय	प्रधान स्थान की अवस्थिति	दी गई जनसंख्या (1991 की जनगणना)	न्यायाधीशों की सं॰	न्यायपीठों की अवस्थिति	दी गई जनसंख्या (1991 की जनगणना)	न्यायाधीशों की सं॰	उच्च न्यायालय में रिक्त पद (27.11.95 को)
1.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	10,72,94,839	55	लखनऊ	03,18,17,448	12	4
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	06,65,08,008	55	लखनऊ	03,18,17,448	12	4
3.	मुंबई	मुंबई	04,24,17,128	22	नागपुर	01,73,98,900	08	
					औरंगाबाद	01,93,61,222	05	17
					पणजी (गोवा)	11,69,793	02	
4.	कलकत्ता	कलकत्ता	06,80,77,965	41	पोर्ट ब्लेयर	02,80,661	01	6
5.	दिल्ली	दिल्ली	94,20,644	28	—	—	—	3
6.	गुवाहाटी	गुवाहाटी	02,92,78,880	07	अगरतला	27,57,205	02	
					इम्फाल	18,37,149	02	
					शिलांग	17,74,778	01	3
					कोहिमा	12,09,546	02	
					झाइजौल	06,89,756	—	
7.	गुजरात	अहमदाबाद	04,13,09,582	27	—	—	—	3
8.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	51,70,877	05	—	—	—	3

9.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू-कश्मीर	77,18,700	08	—	—	—	3
10.	कर्नाटक	बंगलौर	04,49,77,201	25	—	—	—	5
11.	केरल	एर्नाकुलम्	02,91,50,225	18	—	—	—	7
12.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	04,46,97,109	13	इंदौर	01,33,31,873	06	7
					ग्वालियर	81,52,183	05	
13.	मद्रास	मद्रास	05,66,66,731	21	—	—	—	8
14.	उड़ीसा	कटक	03,16,59,736	08	—	—	—	7
15.	पटना	पटना	06,65,29,646	26	रांची	01,98,44,819	06	5
16.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	03,73,87,632	29	—	—	—	8
17.	राजस्थान	जोधपुर	02,27,36,000	12	जयपुर	02,12,70,000	12	2
18.	सिक्किम	गंगटोक	04,06,457	02	—	—	—	1

टिप्पण:— उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान और न्यायपीठ/न्यायपीठों के बीच न्यायाधीशों के वितरण में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विनिश्चय के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है।

Construction of Houses for SCs/STs and Weaker Sections in Punjab

523. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from Government of Punjab for granting loan and assistance for construction of houses for SCs/STs and other economically weaker section of the society;

(b) if so, the details thereof and the action taken thereon by Government; and

(c) the details of the Central Government assistance including loan/grants from HUDCO provided to Punjab as on 30th October, 1995 for the purpose and the target fixed for the Eighth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATON) (SHRI S.S. AHLUWALIA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Under the Shelter Upgradation component of the Nehru Rozgar Yojana, an amount of Rs. 89.92 lakhs was released to the Government of Punjab as Central subsidy, through HUDCO. Under Indira Awas Yojana, an amount of Rs. 487 lakhs have been provided to Govt. of Punjab as Central assistance for construction of houses for SCs/STs, freed honded labourers and the non-SC/ST people below poverty line living in rural areas. No State-wise target is fixed for these schemes under the 8th Five Year Plan. In addition, Housing and Urban Development Corporation Ltd., (HUDCO), since inception and as on 31.10.95, has sanctioned a loan amount of Rs. 202.79 crores to various housing schemes of Punjab for construction of 113066 dwelling units and development of 4679 plots, out of which 84348 dwelling units and 2698 residential plots are meant for the economically weaker section and low income category, including SC/ST. HUDCO fixes State-wise & category-wise targets in respect of loan sanctions on an annual basis. The loan allocation, actual sanctions and dwelling units sanctioned by HUDCO to the economically weaker sections and low income groups in the State of Punjab during the 8th Five Year Plan are as below:—

Year	Loan allocation	Actual loan sanctioned	Dwelling Units Sanctioned
		Rs. in crores	
1992-93	8.60	8.99	3465
1993-94	8.64	5.98	2349
1994-95	9.72	2.91	554